रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249133
CG-DL-E-04102023-249133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945
No. 252] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

## जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

**मामला संख्याः ए डी (ओआई -19/2023)**

**विषय: चीन जन.गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।**

**फा. संख्या 6/20/2023-डीजीटीआर.**—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, बोदल कैमिकल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''घरेलू उद्योग'' भी कहा गया है) ने चीन और जापान (''संबद्ध देश'') से अथवा वहां से निर्यातित **"**ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड**"** (जिसे यहां आगे **''**संबद्ध वस्तु**"** या **''**विचाराधीन उत्पाद**"** अथवा **''**टीसीसीए**"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे **''**प्राधिकारी**"** भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयतों के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

**क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (''पीयूसी'') **"**ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड**"** है जिसे आगे टीसीसीए भी कहा गया है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे आम तौर पर डिसइंनफैक्टेंट**,** ब्लीचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है । यह एक सफेद क्रिस्टलीय पावडर होता है इसमें तेज क्लोरीन सी गंध होती है । टीसीसीए एक शक्तिशली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिग पूल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता में प्रयोग किया जाता है ।

4. टीसीसीए एक डिसइंनफैक्टेंट**,** काई नाशक और बैक्टीरिया नाशक है जिसे मुख्यत: स्वीमिग पूल और डाई स्टफ में प्रयोग किया जाता है । इसे वस्त्र उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है । इसे पूल और स्पा में सामान्य सफाई, पशुपालन और मछली पालन में रोगों की रोकथाम और उपचार, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार के रूप में व्यापक रूप से, उद्योग में और वातानुकूल में पुन: चक्रित जल के लिए काई नाशक, ऊनी कपड़ों के लिए सिकुड़नरोधी उपचार, बीजों के उपचार और कार्बनिक रसायन सिंथेटिक में प्रयोग किया जाता है ।

5. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 29 के टैरिफ कोडों 2933 69 10 तथा 2933 69 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

6. विषय की जांच में रुचि रखने वाले पक्ष इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

**ख. <u>समान वस्तु</u>**

7. आवेदक ने बताया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को चीन जन.गण. और जापान से आयात किए जा रहे उत्पाद की ''समान वस्तु'' के रूप में माना गया है ।

**ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>**

8. यह आवेदक मै. बोदल कैमिकल लिमिटेड (बीसीएल) द्वारा दायर किया गया है। इस संयंत्र को ट्रीयोन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था और बीसीएल ने कंपनी में 100 प्रतिशत शेयर प्राप्त कर लिए । आवेदक भारत में समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है ।

9. आवेदक ने बताया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं हैं । इस प्रकार**,** आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

**घ. <u>सामान्य मूल्य</u>**

**<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान</u>**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और यदि चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं तो उनके सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के अलावा विचाराधीन उत्पाद को अमरीका और स्पेन में उत्पादित किया जाता है । तद्नुसार**,** इन देशों में से बाजार

अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश का चयन करना होगा । तथापि, इन देशों में कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए अमरीका से आयातों या कुल निर्यातों की कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है । तद्नुसार, आवेदक ने अमरीका को भारत से अपनी स्वयं के निर्यात की कीमत पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत के रूप में भरोसा किया है । प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ इस पर विचार किया है ।

**सामान्य मूल्य का अनुमान - जापान**

11. आवेदक ने दावा किया है कि जापान में कीमत से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं । आवेदक जापान में समान उत्पाद के लिए तुलनीय कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा था । इसके अलावा, चूंकि उत्पाद का कोई समर्थित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए जापान से निर्यातों की कीमत भी उपलब्ध नहीं है । तद्नुसार, सामान्य मूल्य को वैकल्पिक आधार पर निर्धारित करना अपेक्षित था ।

12. चूंकि आवेदक तथा जापान में उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन लागत तक कोई पहुंच नहीं है इसलिए आवेदक ने इस स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर उत्पादन लागत निर्धारित की है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक ने ट्रेड मैप के अनुसार जापान में आयातों की कीमत पर आधारित जापान में एक कच्ची सामग्री कॉस्टिक सोडा की कीमत पर भरोसा किया है । बिक्री,सामान्य और प्रशाएसनिक व्ययों तथा लाभ सहित अन्य कच्ची सामग्रियों, सुविधाओं और उत्पादन लागत के कारकों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर दावा किया गया है । जापान के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं

**ड. निर्यात कीमत**

13. आवेदक ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर विचार किया है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं ।

**च. पाटन मार्जिन**

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है । इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है और पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराता है।

**छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य**

15. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि उसे पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है । क्षति अवधि के दौरान आयातों से संबंधित सूचना और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड दर्शाते हैं कि आयातों में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है और भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी ये काफी अधिक हैं । आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है और उसने ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा बढ़ गई होती। आवेदक को काफी अधिक अल्प प्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ रहा है और उसका बाजार हिस्सा अत्यंक कम है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे अपने उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करने को मजबूर होना पड़ा है और उसने अपनी बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में बिक्री की है । परिणामस्वरूप आवेदक ने संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है और उसे नकद घाटा हुआ है तथा अपनी नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है । संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ।

**ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत**

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा

संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

**झ. संबद्ध देश**

17. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और जापान हैं।

**ञ. जांच की अवधि**

18. आवेदक ने जांच की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक (12 माह की अवधि) का प्रस्ताव किया था। प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

**ट. प्रक्रिया**

19. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ठ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशो में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

**ड. समय सीमा**

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

**ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो )और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

**34.** पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

**त. <u>असहयोग</u>**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2023

**Case No. AD(OI)-19/2023**

**Subject**:**—Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Trichloro Isocyanuric Acid originating in or exported from China PR, and Japan.**

**F. No. 6/20/2023-DGTR.—**1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to

time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"), Bodal Chemicals Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Trichloro Isocyanuric Acid" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "TCCA") from China and Japan ("subject countries").

2. The applicant has alleged that dumping of imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of an anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

**A. Product under consideration**

3. The product under consideration ("PUC") in the present petition is "Trichloro Isocyanuric Acid", also referred to as TCCA. TCCA is a chemical compound commonly used as a disinfectant, bleaching agent, and water treatment chemical. It is a white crystalline powder with a strong chlorine odour. TCCA is a powerful oxidizing agent and is widely used in swimming pools, as well as for industrial water treatment and sanitation.

4. TCCA is a disinfectant, algicide, and bactericide mainly for swimming pools and dyestuffs. It is also used as a bleaching agent in the textile industry. It is widely used in civil sanitation for pools and spas, preventing and curing diseases in animal husbandry & fisheries, fruit & vegetable preservation, wastewater treatment, as an algicide for recycled water in industry and air conditioning, in anti-shrink treatment for woollens, for treating seeds and in organic chemical synthesis.

5. The product under consideration is classified under Chapter 29, under tariff codes 2933 6910 and 2933 6990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

6. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

**B. Like article**

7. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant is technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicant has been considered as like article to the product being imported from China PR and Japan.

**C. Domestic industry and standing**

8. The application has been filed by Bodal Chemicals Limited (BCL). The plant was set up by Trion Chemicals Private Limited and BCL acquired 100% stake in the company. The applicant is the sole producer of the like product in India.

9. The applicant has stated that they have not imported the subject goods from the subject countries and that they are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

**D. Normal value**

**Estimate of normal value for China PR**

10. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules. The applicant has claimed that apart from the subject countries, the product under consideration is produced only in the USA and Spain. Accordingly, the appropriate market economy third country would have to be selected amongst these countries. However, there is no publicly available information regarding the prices in these countries. Further, since the product under consideration does not have a dedicated tariff classification, information regarding the price of imports into or total exports from the USA is also not available. Accordingly, the applicant has relied upon the price of its own exports from India to the USA as the price in a market economy third country. The Authority has considered the same for the purpose of initiation.

**Estimate of normal value – Japan**

11. The applicant has claimed that the data relating to prices in Japan is not available in the public domain. The applicant was unable to obtain the comparable price for like product, in Japan. Further, since the product does not have a dedicated tariff classification, the price of exports from Japan is also not available. Accordingly, the normal value was required to be determined on an alternative basis.

12. Since the applicant does not have access to the actual cost of production of the producers in Japan, the applicant has determined the cost of production based on the best available information at this stage. For this purpose, the applicant has relied upon the price of one of the raw materials, caustic soda, in Japan based on the price of imports into Japan as per the Trade Map. Other raw materials, utilities and factors of cost of production, including selling, general and administrative expenses and profits, have been claimed based on the available information. There is sufficient prima facie evidence of normal value claimed for Japan.

**E. Export price**

13. The applicant has claimed the export price based on available information. However, the Authority has considered the export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S transaction-wise data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges to arrive at an ex-factory export price.

**F. Dumping margin**

14. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries into the Indian market and the dumping margin is above *de-minimis* so as to justify initiation of the investigation.

**G. Injury and Causal link**

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that it has suffered material injury as a result of the dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased in absolute terms over the injury period, and are significant in relation to the Indian production and consumption. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The applicant is facing significantly underutilized capacity, and its market share remains extremely low. The applicant has also claimed that it has been forced to export in order to dispose of its production and has sold in the domestic market below its cost of sale. As a result, the applicant has sold the subject goods at losses and incurred cash losses and a negative return on its capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

**H. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

16. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. Subject countries**

17. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR, and Japan.

**J. Period of investigation**

18. The applicant had proposed 1st April 2022 to 31st March 2023 as the period of investigation (period of 12 months). The Authority has considered the period of investigation proposed by the applicant for the purpose of the investigation. The injury investigation period will cover the period of 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI.

**K. Procedure**

19. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

**L. Submission of Information**

20. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.

21. The known producers/exporters from the subject countries, their Governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

**M. Time Limit**

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in and adg16-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

**N. Submission of information on a confidential basis**

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

28. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

33. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**O. Inspection of Public File**

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

**P. Non-cooperation**

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.04 18:43:49 +05'30'